



**राजस्थान विधानसभा**  
**जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20**  
**चतुर्थ प्रतिवेदन**  
**(पन्द्रहवीं विधानसभा)**

[भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2.4 में समाविष्ट पर्यटन एवं पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों पर प्रतिवेदन]

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक .....को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधानसभा सचिवालय  
जयपुर

मूल्य ₹.....

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	(i)
2.	प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2.4 में समाविष्ट पर्यटन एवं पशुपालन विभाग से सम्बंधित मामलों पर प्रतिवेदन	1-36
3.	परिशिष्ट एक - सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना	37
4.	परिशिष्ट-दो (सिफारिशों का सार)	38-39

**प्रस्तावना**

1. जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20 द्वारा प्राधिकृत करने पर मैं, सभापति, जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20, समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।
2. इस प्रतिवेदन का संबंध भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2.4 में समाविष्ट पर्यटन एवं पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों से है।
3. इस प्रतिवेदन को समिति ने दिनांक 11.06.2019 को हुई बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से अनुमोदित कर सदन में उपस्थापन हेतु अभिस्वीकृत किया।
4. समिति की सिफारिशों का सार प्रतिवेदन के परिशिष्ट-दो में दिया गया है।
5. समिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2.4 के सम्बन्ध में विभागों से प्राप्त लिखित उत्तर का गहनतम अध्ययन किया एवं पाया कि विभाग द्वारा बजट प्रावधान तैयार करते समय व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया जो अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, गत वर्षों में पर्याप्त बचतों के बावजूद वृहद् बजट प्रावधान किया गया। साथ ही इसी प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में 5.71 तथा 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य भिन्नता थी जो कि आंकलन में कमी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा बजट प्रावधान बनाने से पूर्व कार्य की संभावना को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष दर वर्ष प्रावधान बढ़ाना बजटिंग प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठता है। साथ ही विभाग द्वारा दिये गये कारण विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत त्रुटियों, अनुश्रवण में कमी, अनुमान तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाती है जिसे समिति ने गम्भीरता से लेते हुए प्रतिवेदन में सिफारिशों की हैं।
6. समिति प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान और उनके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

**विधानसभा भवन****जयपुर।****दिनांक: 11.06.2019****(गुलाब चन्द कटारिया)****सभापति****जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20**

## प्रतिवेदन

सीएजी प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.4 (पृष्ठ संख्या 103 - 110)

पशुपालन एवं पर्यटन विभाग

### 2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा तथा अनुदान संख्या 47-पर्यटन के अर्न्तगत वर्ष 2014-17 की अवधि के लिये प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

*अनुदान संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा*

*पशुपालन विभाग*

*(अ) राजस्व व्यय*

विभिन्न शीर्षों की नमूना-जाँच के दौरान पाये गये मुख्य बिन्दु नीचे सारिकृत किये गये हैं:

(i) निम्नलिखित लेखाशीर्षों में वर्ष 2014-17 के दौरान गत वर्षों से व्यय में वास्तविक कमी तथा वृद्धि के महत्वपूर्ण अंतर के साथ ही बजट अनुमानों से वास्तविक में वृहद् विचलन दर्शित हुआ:

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान <sup>#</sup>	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
2403-पशुपालन	2014-15	3.24	1.59	-	-
101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	2015-16	2.98	1.88	0.29	18.24
17- पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड) 1:3 (आयोजना)	2016-17	1.69	1.36	-0.52	-27.66
2403- पशुपालन	2014-15	5.00	1.52	-	-
102-पशु तथा भैंस विकास	2015-16	4.87	9.60	8.08	531.58
16- पशुधन नस्ल सुधार योजना	2016-17	3.81	-	-9.60	-100.00

01-स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से (आयोजना)					
2403- पशुपालन	2014-15	0.54	0.29	-	-
102-पशु तथा भैंस विकास	2015-16	0.58	0.51	0.22	75.86
17- बकरी विकास (आयोजना)	2016-17	0.54	0.22	- 0.29	-56.86
2403- पशुपालन	2014-15	2.66	2.53	-	-
113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	2015-16	2.64	2.16	- 0.37	- 14.62
02- पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना (सीएसएस) 50:50 (आयोजना)	2016-17	2.88	2.63	0.47	21.76
2404-डेयरी विकास	2014-15	16.54	1.15	-	-
195-सहकारी समितियों को सहायता	2015-16	8.19	3.90	2.75	239.13
01-राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता (आयोजना)	2016-17	8.71	-	- 3.90	- 100.00

**#इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं लिये गये।**

विभाग ने ध्यान में लाये जाने पर अनुमानों का संशोधन करना, आयोजना सीमा में कटौती तथा राज्यांश जारी नहीं करना के कारण बताये। विभाग द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट प्रावधान तैयार करते समय व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया जो अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, गत वर्षों में पर्याप्त बचतों के बावजूद वृहद् बजट प्रावधान किया गया।

**(ii)** निम्नलिखित प्रकरणों में, व्यय में पिछले वर्षों से विचलन तथा बजट प्रावधान के समक्ष व्यय में आधिक्य 31.60 प्रतिशत से 65.37 प्रतिशत के मध्य पाये गये।

लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ)	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि का प्रतिशत
2403-पशुपालन	2014-15	3.73	3.07	-	-
001-निदेशन तथा प्रशासन	2015-16	5.29	4.04	0.97	31.60
01- पशुपालन	2016-17	5.83	5.81	1.77	43.81
01-प्रधान कार्यालय कर्मचारी (आयोजना)					
2403-पशुपालन	2014-15	25.50	21.89	-	-
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	2015-16	39.86	36.20	14.31	65.37
05-अस्पताल और औषधालय (आयोजना)	2016-17	64.73	50.29	14.09	38.92
2403-पशुपालन	2014-15	3.25	3.25	-	-
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	2015-16	3.53	4.71	1.46	44.92
11-पॉलीक्लिनिकों की स्थापना (आयोजना)	2016-17	5.32	6.26	1.55	32.91

विभाग द्वारा बताया गया कि यह अनुमानों में संशोधन के कारण था। विभाग द्वारा बताये गये कारण बजट प्रतिपादन तथा प्रणाली प्रबंधन में कमियों को दर्शाते हैं।

### (ब) पूँजीगत व्यय

कुछ प्रकरणों में, गत वर्षों की तुलना में व्यय में अन्तर पाये गये। यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में शीर्ष 4405-101-02-07 के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में 31.3 प्रतिशत तक की कमी पाई गई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। यह भी दर्शित हुआ कि वर्ष 2016-17 से पूर्व पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में असाधारण वृद्धि हुई थी।

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	2014-15	1.95	0.35	2.30	0.77	-	-
	2015-16	1.80	0.14	1.94	1.50	0.73	94.8
101-अन्तर्देशीय मछली पालन	2016-17	1.38	-	1.38	1.03	-0.47	-31.3
02-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से							
07- मत्स्य फार्म का विकास							

विभाग द्वारा बताये गये कारण (i) निधियाँ देरी से प्राप्त होना, (ii) मत्स्य फार्म, गिलवा, टोंक के लिये देरी से वित्तीय स्वीकृति जारी होना तथा (iii) जल संसाधन विभाग, टोंक, अलवर तथा सिंचित क्षेत्र विकास (सीएडी), कोटा द्वारा निधियों का उपयोग न करना रहे।

विभाग द्वारा बताये गये कारण बजट प्रतिपादन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमियों तथा विभाग द्वारा अनुसरण में कमी को दर्शाते हैं, जिससे वर्ष 2016-17 में विकास कार्य में ठहराव पाया गया।

आगे, जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 में ₹ 0.35 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 0.14 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मत्स्य फार्मों के विकास हेतु मछली पालन तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लिया गया। यद्यपि, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ। यह वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमियों को दर्शाता है।

#### (स) सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होने चाहिए, अनुमानों में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितना की वास्तविक व्यय में आधिक्य है। छः उप-शीर्षों की नमूना-जाँच (2014-17) में पाया गया कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) का उपयोग नहीं किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उन्हें अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन कर दिया गया, जैसा कि परिशिष्ट-एक (पृष्ठ संख्या - 37) में दिया गया है।

**(द) प्राप्तियाँ**

पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष “0403-पशुपालन” एवं “0405-मछली पालन” में पशुधन, सेवा शुल्क, मछली एवं मछली बीज की बिक्री, किराया तथा अन्य प्राप्तियों की प्राप्तियाँ सम्मिलित होती है। वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत अंतर
1.	0403-पशुपालन	2014-15	0.07	0.22	0.48	0.26	118.18
	102-मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियाँ	2015-16	0.07	0.20	8.38	8.18	4090.00
	03-अन्य विविध प्राप्तियाँ	2016-17	0.20	9.00	6.69	- 2.31	25.67
2.	0403-पशुपालन	2014-15	1.20	1.40	1.32	-0.08	5.71
	501-सेवाएं और सेवा कर	2015-16	1.55	2.75	2.50	- 0.25	9.09
	01- सेवाएं और सेवा कर	2016-17	3.00	3.00	2.31	-0.69	23.00
3.	0405-मछली पालन	2014-15	0.05	0.05	0.55	0.50	1000.00
	800-अन्य प्राप्तियाँ	2015-16	0.06	1.43	2.42	0.99	69.23
	01- अन्य प्राप्तियाँ	2016-17	0.90	1.00	1.65	0.65	65.00

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.60 प्रतिशत तथा 31.82 प्रतिशत के मध्य गिरावट रही। क्र.सं. 1 तथा 2 के प्रकरणों में संशोधित अनुमान उचित नहीं थे जिनमें प्राप्तियाँ बहुत तेजी से गिरी। ऊपर दी गई स्थिति विभाग द्वारा प्राप्तियों के अनुमानों के कम आंकलन को दर्शाती है।

विभाग ने मत्स्य कृषकों द्वारा लाईसेंस का नवीनीकरण करवाने/नवीनीकरण नहीं करवाने से प्राप्तियों में वृद्धि/कमी का कारण, जलाशयों में पानी कम होने के कारण मत्स्य कृषकों द्वारा

लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करवाना बताया जिनके परिणामस्वरूप अन्ततः राशि जब्त की गई।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में 5.71 तथा 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य भिन्नता थी जो कि आंकलन में कमी को प्रदर्शित करता है।

### अनुदान संख्या 47-पर्यटन

#### पर्यटन विभाग

#### (अ) राजस्व व्यय

विभिन्न शीर्षों की नमूना-जाँच के दौरान पाये गये मुख्य बिन्दु नीचे सारांशिकृत किये गये हैं:

(i) निम्नलिखित लेखाशीर्षों में, वर्ष 2014-17 के दौरान गत वर्षों से व्यय में पर्याप्त कमी तथा वृद्धि को दर्शित करते हुए वास्तविक एवं बजट अनुमानों में विचलन था एवं व्ययों की वृद्धि में महत्वपूर्ण अन्तर था।

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) का प्रतिशत
3452-पर्यटन	2014-15	0.20	-	0.20	0.21	-	-
80-सामान्य	2015-16	0.25	-	0.25	0.25	0.04	19.04
800-अन्य व्यय	2016-17	0.30	-	0.30	0.10	- 0.15	-60.00
03- ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों पर रोशनी (आयोजना)							
3452-पर्यटन	2014-15	0.40	-	0.40	0.24	-	-
80-सामान्य	2015-16	0.40	-	0.40	0.37	0.13	54.17
800-अन्य व्यय	2016-17	2.00	-	2.00	0.28	- 0.09	-24.32
05- आई.टी. परियोजना (आयोजना)							
3452-पर्यटन	2014-15	1.20	-	1.20	0.57	-	-

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) का प्रतिशत
80-सामान्य	2015-16	1.20	-	1.20	0.36	- 0.21	-36.84
800-अन्य व्यय	2016-17	1.40	-	1.40	0.60	0.24	66.67
07-राजस्थान मेला प्रबंधन प्राधिकरण(आयोजना)							
3452-पर्यटन	2014-15	3.75	-	3.75	3.46	-	-
80-सामान्य	2015-16	3.57	-	3.57	3.74	0.28	8.09
001-निदेशन तथा प्रशासन (आयोजना)	2016-17	3.61	-	3.61	4.32	0.58	15.51
3452-पर्यटन	2014-15	7.62	-	7.62	6.98	-	-
80-सामान्य	2015-16	8.06	0.32	8.38	8.41	1.43	20.49
001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-आयोजना)	2016-17	9.51	-	9.51	9.37	0.96	11.41
3452-पर्यटन	2014-15	11.44	-	11.44	9.05	-	-
80-सामान्य	2015-16	24.99	21.07	46.06	45.69	36.64	404.86
800-अन्य व्यय	2016-17	42.82	6.82	49.64	50.19	4.50	9.85
02-पर्यटक सूचना और प्रचार (आयोजना)							

विभाग ने व्यय में भिन्नता के कारण (2015-16) (i) नवीनीकरण/अनुरक्षण तथा विद्युत अनुरक्षण, विद्युत कार्यों पर व्यय, नये कम्प्यूटर्स तथा कम्प्यूटर पार्ट्स की खरीद, आक्रामक विपणन अभियान पर व्यय, वेतन तथा भत्तों में वृद्धि होना तथा (ii) नवीनीकरण/अनुरक्षण पर कम व्यय (2016-17), विद्युत व्यय भुगतान का दायित्व हस्तान्तरित होना, वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, मेला आयोजन पर व्यय तथा कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन रहने तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कम व्यय होना बताया।

विभाग द्वारा दिये गये कारण विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत त्रुटियों, अनुश्रवण में कमी, अनुमान तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाती है, क्योंकि वेतन तथा भत्तों पर

अनुमान, नवीनीकरण कार्य, कम्प्यूटर खरीद आदि का बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान/अन्दाजा लगाया जा सकता है।

(ब) पूँजीगत व्यय

पर्याप्त प्रावधान के बावजूद पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण बचतें तथा घटती हुई प्रवृत्ति पायी गयी, जैसे कि नीचे सारांशीकृत की गई है:

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	व्यय में वृद्धि/कमी	(₹ करोड़ में) वृद्धि/कमी (-) का प्रतिशत
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य	2014-15	19.09	15.20	-	-
	2015-16	25.69	23.88	8.68	57.11
	2016-17	29.42	9.75	-14.13	-59.17
800-अन्य व्यय 01-पर्यटन स्थलों का विकास (आयोजना)					
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य	2014-15	13.29	1.31	-	-
	2015-16	38.20	18.14	16.83	1284.73
	2016-17	18.71	10.62	- 7.52	-41.46
800-अन्य व्यय 05-ग्रामीण पर्यटन का विकास (आयोजना)					

#इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं लिये गये हैं।

विभाग द्वारा व्यय में वृद्धि/कमी के कारण (i) स्वीकृतियाँ जारी न होना, (ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निधियों का उपयोग न करना तथा (iii) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति बताये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (i) जिस समय भी वित्तीय स्वीकृतियों में विलम्ब था तो विभाग को प्रकरण में लगातार अनुसरण करना चाहिये था ताकि निधियाँ उचित रूप से उपयोग ली जा सकें (ii) निधियों का अनुपयोगी रहना त्रुटिपूर्ण अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान को दर्शाता है तथा (iii) कार्यों की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप बचतें, विभागीय स्तर, जिसने कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार किये थे, के अनुश्रवण तथा समन्वय में कमी को दर्शाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान विकासात्मक तथा पूँजीगत कार्यों के लिये किये गये प्रावधानों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2014-15 की उद्घोषणा के अनुसार झालावाड़ में रैन बसेरा के विकास हेतु राशि ₹ 2.24 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, कार्य वर्ष के दौरान प्रारम्भ नहीं किया गया। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कार्य के लिए इसके बाद पुनः प्रावधान किये गये। तथापि, मार्च 2017 तक भी कार्य प्रारम्भ किया जाना बाकी था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि विकासात्मक कार्य चालू नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित स्थल पर भू-निर्माण के कार्य को बदलने का निर्णय (फरवरी 2016) लिया गया एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देशानुसार (मार्च 2016) भी वर्ष 2016-17 में कार्य शुरू नहीं हो सका।

- इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की बजट की उद्घोषणा में बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम (एक शहीद स्मारक) के विकास हेतु राशि ₹ 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में कार्य के लिये पुनः प्रावधान बनाये गये। तथापि, मार्च 2017 तक कार्य प्रारम्भ किया जाना बाकी था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा इसके अनुमोदन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

इस प्रकार, बजट प्रावधान बनाने से पूर्व कार्य की संभावना को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष दर वर्ष प्रावधान बढ़ाना बजटिंग प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठता है।

### (स) प्राप्तियाँ

पर्यटन विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष “1452-पर्यटन” में अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत अंतर
1.	1452-पर्यटन	2014-15	0.50	0.90	1.17	0.27	30.00
	800-अन्य प्राप्तियाँ	2015-16	0.95	1.02	0.80	-0.22	- 21.57
	01-अन्य प्राप्तियाँ (आयोजना)	2016-17	1.15	0.85	0.76	-0.09	-10.59

वर्ष 2014-15 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों से ₹ 0.27 करोड़ अधिक थी। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 0.22 करोड़ तथा ₹ 0.09 करोड़ की सीमा तक प्राप्तियाँ कम प्राप्त हुईं।

**पशुपालन (मत्स्य) विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 18.05.2018) में बताया कि**

**अनुच्छेद संख्या 2.4 (ब):** वर्ष 2014-15 में ₹ 1.95 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था तथा रंगीन मछली पालन बीसलपुर के निर्माण हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात् स्वीकृत होने के कारण ₹ 0.35 करोड़ की राशि अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राप्त की। विभाग को कुल ₹ 2.30 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध ₹ 0.77 करोड़ की राशि व्यय की गई। बचत के निम्नलिखित कारण हैं:-

1. बंध बीसलपुर पर रंगीन मछली परियोजना की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के माह फरवरी 2015 में प्राप्त होने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।
2. वर्ष 2014-15 में चुनावी वर्ष होने के कारण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उक्त मत्स्य फार्मों के कार्य कराने हेतु निविदा प्रक्रिया में समय लग गया। कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता दांयी मुख्य नहर खण्ड प्रथम सी.ए.डी. कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 2880 दिनांक 18.03.2015 द्वारा अवगत कराया है कि संवेदकों द्वारा निविदा का बहिष्कार करने व कार्य सम्पादन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु उसकी समक्ष स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से राशि ₹ 0.30 करोड़ समर्पित कर दी गई।

विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि ₹ 0.35 करोड़ के अनुपूरक मांगों सहित कुल प्रावधान राशि ₹ 2.30 करोड़ वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए ही करवाया गया था। परन्तु उपरोक्त कारणों से राशि व्यय नहीं हो पायी तथा बचत रही।

वर्ष 2015-16 में ₹ 1.80 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मत्स्य फार्म सूरसागर, कोटा एवं गिलवा टोंक के कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने के कारण वर्ष 2015-16 में राशि ₹ 0.14 करोड़ का वर्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधान करवाया गया था। वर्ष 2014-15 में इन फार्मों (सूरसागर व गिलवा) के लिए प्रावधान स्वीकृत होने के कारण वर्ष 2015-16 में इनके लिए प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल प्रावधान ₹ 1.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.50 करोड़ का व्यय हुआ।

मत्स्य फार्म सूरसागर, कोटा के निर्माण कार्य हेतु अ.अ. दांयी मुख्य नहर खण्ड प्रथम को आहरण वितरण अधिकार विभाग द्वारा 21 मार्च, 2016 को दिये जाने तथा

मत्स्य फार्म गिलवा की राशि स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च 2016 में दिये जाने के कारण पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि ₹ 0.14 करोड़ की अनुपूरक मांग सहित कुल प्रावधान राशि ₹ 1.94 करोड़ वित्तीय वर्ष में फार्मों के विकास कार्यों पर व्यय के लिए ही करवाया गया था, परन्तु उपरोक्त कारणों से राशि व्यय नहीं हो पायी तथा बचत रही।

वर्ष 2016-17 में राशि ₹ 1.38 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था, जिसे संशोधित अनुमानों में ₹ 1.36 करोड़ कर दिया गया। इस वर्ष अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। संशोधित प्रावधान राशि ₹ 1.36 करोड़ के विरुद्ध कुल व्यय ₹ 1.03 करोड़ निम्नानुसार हुआ है:-

(राशि ₹ करोड़ में )

क्र.सं.	फार्म का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	लखुवाली	0.20	0.20
2.	गिलवा	0.08	0.03
3.	सिलीसेढ़	0.40	0.20
4.	बीसलपुर	0.43	0.43
5.	सूरसागर	0.25	0.17
	<b>योग</b>	1.36	1.03

#### बचत के कारण

1. मत्स्य फार्म गिलवा के कार्य के संबंध में माह मार्च 2017 में बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण बचत रही है।
2. मत्स्य फार्म सिलीसेढ़ एवं सूरसागर पर क्रमशः जल संसाधन विभाग अलवर एवं सी.ए.डी. कोटा द्वारा पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण बचत रही।

**अनुच्छेद संख्या 2.4 (द):** लेखा शीर्ष मद 0405- मछली पालन 800- अन्य प्राप्तियां 01- अन्य प्राप्तियां की वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य 65.00 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियां के क्रम में निवेदन है कि मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों का मत्स्य ठेका पाँच वर्ष हेतु 12 प्रतिशत स्टेजेज बढ़ोतरी प्रति

वर्ष के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इस शीर्ष मद में मुख्यतया तीन प्रकार की राजस्व प्राप्तियां आती हैं:-

1. जब्त की गई प्रतिभूति राशि।
2. जब्त की गई अमानत राशि।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क/सूचना के अधिकार की राशि/विगत वर्षों की ऑडिट वसूली।

राजस्थान मत्स्य नियम 1953 एवं संशोधित मत्स्य नियम 1958 के नियम 6(3) के अनुसार जलाशयों के लीज धारक को आगामी वर्ष के नवीनीकरण की ¼ राशि एवं अन्तर प्रतिभूति राशि 31 जनवरी तक एवं शेष ¾ राशि 15 मार्च तक जमा करवानी होती है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर विगत वर्षों की जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाती है। विभाग द्वारा जलाशयों को ठेके पर देने हेतु प्राप्त निविदाओं में प्रथम उच्चतम निविदादाता की बोली को स्वीकार किया जाकर ¼ राशि जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं। बोलीदाता द्वारा यदि समय पर ¼ राशि जमा नहीं कराई जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अमानत राशि जो कि आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होती है जब्त कर ली जाती है। मत्स्य पालन का कार्य पूर्णतया वर्षाधीन है। जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं आने एवं मत्स्य सम्पदा कम होने के दृष्टिगत बोलीदाता द्वारा ठेके के नवीनीकरण में रुचि नहीं ली जाती है। परिणाम स्वरूप छोड़े गये जलाशयों की प्रतिभूति राशि जब्त हो जाने के कारण इस मद में आय अधिक हो जाती है। उक्त मद में अधिकांश जब्त की जाने वाली राशि 31 जनवरी तक ¼ राशि तथा 15 मार्च तक ¾ राशि जमा करने में असफल मत्स्य ठेकेदारों की जब्त की जाती है जिसका संशोधित अनुमान तैयार करते समय पूर्व में आंकलन किया जाना संभव नहीं होता है।

उपरोक्त कारणों से वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्रमशः ₹ 0.50, ₹ 0.99 एवं ₹ 0.65 करोड़ राजस्व की अधिक प्राप्ति हुई है।

### **प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी**

#### **अनुच्छेद संख्या 2.4 (ब):**

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बचत के कारणों से अवगत कराया है तथापि विभाग द्वारा बताए गए कारण बजट प्रतिपादन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमियों तथा विभाग द्वारा अनुसरण में कमी को दर्शाते हैं जिससे वर्ष 2016-17 में विकास कार्य में ठहराव पाया गया एवं अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ। यह वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आंकलन तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमियों को दर्शाता है।

#### अनुच्छेद संख्या 2.4 (द):

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए तथ्यात्मक स्थिति वर्णित की है। तथापि विभाग द्वारा बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों में प्राप्तियों के अनुमानों में वास्तविक प्राप्तियों से भिन्नता होना विभाग द्वारा प्राप्तियों के आंकलन में कमी को दर्शाता है।

**संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिम लिखित क्रियान्विति (दिनांक 09.08.2018) में विभाग ने बताया कि वर्ष 2014-15 में ₹ 1.95 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था तथा रंगीन मछली पालन बीसलपुर के निर्माण हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात् स्वीकृत होने के कारण ₹ 0.35 करोड़ की राशि अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राप्त की। विभाग को कुल ₹ 2.30 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध ₹ 0.77 करोड़ की राशि व्यय की गई। बचत के निम्नलिखित कारण हैं:-**

1. बंध बीसलपुर पर रंगीन मछली परियोजना की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के माह फरवरी 2015 (परिशिष्ट का समिति ने अवलोकन किया) में प्राप्त होने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।
2. वर्ष 2014-15 में चुनावी वर्ष होने के कारण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उक्त मत्स्य फार्मों के कार्य कराने हेतु निविदा प्रक्रिया में समय लग गया। कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता दांयी मुख्य नहर खण्ड प्रथम सी.ए.डी. कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 2880 दिनांक 18.03.2015 (परिशिष्ट का समिति ने अवलोकन किया) द्वारा अवगत कराया है कि संवेदकों द्वारा निविदा का बहिष्कार करने व कार्य सम्पादन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु उसकी समक्ष स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से राशि ₹ 0.30 करोड़ समर्पित कर दी गई।

विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि ₹ 0.35 करोड़ के अनुपूरक मांगों सहित कुल प्रावधान राशि ₹ 2.30 करोड़ वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए ही करवाया गया था। परन्तु उपरोक्त कारणों से राशि व्यय नहीं हो पायी तथा बचत रही।

वर्ष 2015-16 में ₹ 1.80 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मत्स्य फार्म सूरसागर, कोटा एवं गिलवा टोंक के कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने के कारण वर्ष 2015-16 में राशि ₹ 0.14 करोड़ का वर्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधान करवाया गया था। वर्ष 2014-15 में इन फार्मों (सूरसागर व गिलवा) के लिए प्रावधान स्वीकृत होने के कारण वर्ष

2015-16 में इनके लिए प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल प्रावधान ₹ 1.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.50 करोड़ का व्यय हुआ।

मत्स्य फार्म सूरसागर, कोटा के निर्माण कार्य हेतु अ.अ. दांयी मुख्य नहर खण्ड प्रथम को आहरण वितरण अधिकार विभाग द्वारा 21 मार्च, 2016 (परिशिष्ट का समिति ने अवलोकन किया) को दिये जाने तथा मत्स्य फार्म गिलवा की राशि स्वीकृति वित्तीय वर्ष के माह फरवरी 2016 के अंतिम सप्ताह (परिशिष्ट का समिति ने अवलोकन किया) में दिये जाने के कारण पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि ₹ 0.14 करोड़ की अनुपूरक मांग सहित कुल प्रावधान राशि ₹ 1.94 करोड़ वित्तीय वर्ष में फार्मों के विकास कार्यों पर व्यय के लिए ही करवाया गया था, परन्तु उपरोक्त कारणों से राशि व्यय नहीं हो पायी तथा बचत रही।

वर्ष 2016-17 में राशि ₹ 1.38 करोड़ का मूल प्रावधान स्वीकृत था, जिसे संशोधित अनुमानों में ₹ 1.36 करोड़ कर दिया गया। इस वर्ष अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। संशोधित प्रावधान राशि ₹ 1.36 करोड़ के विरुद्ध कुल व्यय ₹ 1.03 करोड़ निम्नानुसार हुआ है:-

(राशि ₹ करोड़ में )

क्र.सं.	फार्म का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	लखुवाली	0.20	0.20
2.	गिलवा	0.08	0.03
3.	सिलीसेढ़	0.40	0.20
4.	बीसलपुर	0.43	0.43
5.	सूरसागर	0.25	0.17
	<b>योग</b>	1.36	1.03

#### बचत के कारण

1. मत्स्य फार्म गिलवा के कार्य के संबंध में माह मार्च 2017 में बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण बचत रही है।
2. मत्स्य फार्म सिलीसेढ़ एवं सूरसागर पर क्रमशः जल संसाधन विभाग अलवर एवं सी.ए.डी. कोटा द्वारा पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण बचत रही।

लेखा शीर्ष मद 0405- मछली पालन 800- अन्य प्राप्तियां 01- अन्य प्राप्तियां की वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य 65.00 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियां के क्रम में निवेदन है कि मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों का मत्स्य

17

ठेका पाँच वर्ष हेतु 12 प्रतिशत स्टेजेज बढ़ोतरी प्रति वर्ष के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इस शीर्ष मद में मुख्यतया तीन प्रकार की राजस्व प्राप्तियां आती हैं:-

1. जब्त की गई प्रतिभूति राशि।
2. जब्त की गई अमानत राशि।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क/सूचना के अधिकार की राशि/विगत वर्षों की ऑडिट वसूली।

राजस्थान मत्स्य नियम 1953 एवं संशोधित मत्स्य नियम 1958 के नियम 6(3) (परिशिष्ट का समिति ने अवलोकन किया) के अनुसार जलाशयों के लीज धारक को आगामी वर्ष के नवीनीकरण की ¼ राशि एवं अन्तर प्रतिभूति राशि 31 जनवरी तक एवं शेष ¾ राशि 15 मार्च तक जमा करवानी होती है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर विगत वर्षों की जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाती है। विभाग द्वारा जलाशयों को ठेके पर देने हेतु प्राप्त निविदाओं में प्रथम उच्चतम निविदादाता की बोली को स्वीकार किया जाकर ¼ राशि जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं। बोलीदाता द्वारा यदि समय पर ¼ राशि जमा नहीं कराई जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अमानत राशि जो कि आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होती है जब्त कर ली जाती है। मत्स्य पालन का कार्य पूर्णतया वर्षाधीन है। जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं आने एवं मत्स्य सम्पदा कम होने के दृष्टिगत बोलीदाता द्वारा ठेके के नवीनीकरण में रुचि नहीं ली जाती है। परिणाम स्वरूप छोड़े गये जलाशयों की प्रतिभूति राशि जब्त हो जाने के कारण इस मद में आय अधिक हो जाती है। उक्त मद में अधिकांश जब्त की जाने वाली राशि 31 जनवरी तक ¼ राशि तथा 15 मार्च तक ¾ राशि जमा करने में असफल मत्स्य ठेकेदारों की जब्त की जाती है जिसका संशोधित अनुमान तैयार करते समय पूर्व में आंकलन किया जाना संभव नहीं होता है।

उपरोक्त कारणों से वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्रमशः ₹ 0.50, ₹ 0.99 एवं ₹ 0.65 करोड़ राजस्व की अधिक प्राप्ति हुई है।

पशुपालन (निदेशालय) विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 26.03.2019) में बताया कि अनुच्छेद संख्या 2.4 (अ)(i) वित्त विभाग द्वारा बजट फ्रीज करने के कारण उपलब्ध प्रावधानों के विरुद्ध व्यय कम हुआ। उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध व्यय पूर्ण किया गया।

योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2016 में जारी हुई, तत्पश्चात् निम्नानुसार समयावधि में प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाना संभव था।

18

1. आई-एल-डी- केन्द्रों हेतु गांव/स्थान का संयुक्त निदेशक पशुपालन एवं जे-के ट्रस्ट द्वारा चयन किया जाना तत्पश्चात् कृत्रिम गर्भाधान हेतु कार्मिकों का चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के 2-3 माह की समयावधि।
2. कृत्रिम गर्भाधान किये जाने के उपरान्त वत्स का जन्म होने में लगने वाला समय 9 से 10 माह।
3. उत्पादित वत्सों के टैगिंग पश्चात् सत्यापन, जे-के- ट्रस्ट द्वारा बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला समन्वय समिति द्वारा सत्यापन, परीक्षण इत्यादि प्रक्रिया पश्चात् बिलों का निदेशालय में प्रस्तुत किया जाने के उपरान्त निदेशालय स्तर पर विभिन्न अनुभागों में परीक्षण उपरान्त वित्तीय स्वीकृति पश्चात् भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लग जाता है।

उपरोक्तानुसार मार्च 2016 में योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् उक्त बिन्दु 1 से 3 के अनुसार 16 माह से पूर्व भुगतान किया जाना संभव नहीं होने के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 3.81 करोड़ का व्यय नहीं किया जा सका।

वर्ष 2014-15 में योजना शुरू हुई थी जिसका खर्च कम हुआ परन्तु वर्ष 2015-16 में लक्ष्य लगभग पूर्ण कर लिये गये। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि के विपरीत खर्च कम हुआ जिसका प्रमुख कारण ये रहा कि अधिकतर जिले अपनी तैयारी पूर्ण कर चुके थे परन्तु अचानक 04.02.2017 को वित्त विभाग द्वारा बजट प्रत्याहरित कर लिया गया जिसके फलस्वरूप जिला उदयपुर, राजसमंद, बूंदी एवं टोंक की कुल ₹ 5.5 लाख की देनदारियों का भुगतान वर्ष 2017-18 में करना पड़ा। कुछ जिलों द्वारा बकरा क्रय की कार्यवाही रोक दी गई। संदर्भित राशि की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं है एवं इसके खर्च नहीं होने के क्रम में विभिन्न जिलों द्वारा जो कारण बताए हैं वो संतुष्ट करने वाले हैं। प्रमाण के तौर पर विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न हैं (जिनका समिति ने अवलोकन किया)।

मूल प्रावधान योजना के मर्दों के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। लेकिन प्रस्तावित राशि के अनुसार भारत सरकार द्वारा आवंटन नहीं होने के कारण प्रस्तावित राशि के अनुमानों एवं व्यय राशि में अन्तर रहा है। आवंटित राशि को उपयोग आवंटन अनुसार मदानुसार पूर्ण रूप से किया गया है जो तालिका से स्पष्ट है।

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	आवंटन	व्यय	वृद्धि/कमी(-)
2403 - पशुपालन	2014-15	2.66		2.53	
113 - प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	2015-16	2.64	2.17	2.16	0.01
02 - पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना (सीएसएस) 50:50 आयोजना	2016-17	2.88	2.66	2.63	0.03

उक्त आवंटन एवं खर्च की रिपोर्ट संलग्न है (जिनका समिति ने अवलोकन किया)। आवंटन राशि एवं खर्च की राशि में अन्तर कम होने के कारण पैरा निरस्त योग्य है।

**अनुच्छेद संख्या 2.4 (अ)(ii):**

(1) इन बजट शीर्षों में अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें अधिकांश पद पशुचिकित्सक, पशुधन सहायक, पशुचिकित्सा सहायक, जलधारी, गडरिया आदि के स्वीकृत हैं। उक्त सभी पद विभागीय चिकित्सालयों, औषधालयों एवं विभागीय संस्था से संबंधित हैं। उपरोक्त आलौच्य अवधि के दौरान नयी भर्ती, डीपीसी एवं अधिकारियों कर्मचारियों के एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष के अधीन स्थानान्तरण के कारण विचलन रहा है।

(2) उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण एसीपी स्वीकृत होने, बकाया वेतन स्थिरीकरणों का निस्तारण से एरियर का भुगतान एवं मंहगाई भत्तों के कारण रहा है।

**अनुच्छेद संख्या 2.4 (स):** योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2016 में जारी हुई, तत्पश्चात् निम्नानुसार समयावधि में प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाना संभव था।

1. आई-एल-डी- केन्द्रों हेतु गांव/स्थान का संयुक्त निदेशक पशुपालन एवं जे-के ट्रस्ट द्वारा चयन किया जाना तत्पश्चात् कृत्रिम गर्भाधान हेतु कार्मिकों का चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के 2-3 माह की समयावधि।

20

2. कृत्रिम गर्भाधान किये जाने के उपरान्त वत्स का जन्म होने में लगने वाला समय 9 से 10 माह।
3. उत्पादित वत्सों के टैगिंग पश्चात् सत्यापन, जे-के- ट्रस्ट द्वारा बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला समन्वय समिति द्वारा सत्यापन, परीक्षण इत्यादि प्रक्रिया पश्चात् बिलों का निदेशालय में प्रस्तुत किया जाने के उपरान्त निदेशालय स्तर पर विभिन्न अनुभागों में परीक्षण उपरान्त वित्तीय स्वीकृति पश्चात् भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लग जाता है।

उपरोक्तानुसार मार्च 2016 में योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् उक्त बिन्दु 1 से 3 के अनुसार 16 माह से पूर्व भुगतान किया जाना संभव नहीं होने के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 3.81 करोड़ का व्यय नहीं किया जा सका।

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से राशि की रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

योजनान्तर्गत राशि ₹ 347.00 लाख के प्रस्ताव आर.एल.डी.बी. के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। माह दिसम्बर 2014 तक भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने पर संशोधित आय-व्ययक अनुमान में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की अपेक्षा में तथा समयावधि कम होने के फलस्वरूप राशि (₹ 102.49 लाख से घटाकर ₹ 60.00) लाख करवा ली गयी थी परन्तु माह मार्च 2015 तक भी भारत सरकार से राशि की रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 में व्यय नहीं किया जा सका।

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से राशि की रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

**अनुच्छेद संख्या 2.4 (द):** पशुपालन विभाग राजस्व विभाग न होकर सेवा प्रदाता विभाग है। प्राप्तियों का अनुमान के आधार पर आंकलन किया जाता है, वास्तविक प्राप्तियाँ अनुमान से कम/अधिक हो सकती हैं।

**प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी**

**अनुच्छेद संख्या 2.4 -**

**(अ) राजस्व व्यय -**

(i) विभाग द्वारा उत्तर में प्रस्तुत तथ्य पूर्व विचारणीय प्रतीत हो रहे हैं। चूंकि बजट प्रावधान तैयार करते समय व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया जो अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, गत वर्षों में पर्याप्त बचतों के बावजूद वृहद् बजट प्रावधान किया गया।

(ii) विभाग द्वारा उत्तर में प्रस्तुत तथ्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग द्वारा बजट प्रावधान बनाते समय पिछले व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया था। साथ ही अनुच्छेद में वर्णित आक्षेप बजट प्रतिपादन तथा प्रणाली प्रबंधन में कमियों को इंगित करता है।

**(ब) पूँजीगत व्यय - सम्बंधित विभाग से टिप्पणी अपेक्षित है।**

**(स) सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना -** ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा बजट प्रावधान बनाते समय बजट नियामावली के पैरा संख्या 13.6 का ध्यान नहीं रखा गया था।

**(द) प्राप्तियाँ -** अनुच्छेद में वर्णित आक्षेप के क्रम में तथ्य यह रहता है कि संशोधित अनुमानों एवं वास्तविकता प्राप्तियों के मध्य अधिक भिन्नता थी जो कि आंकलन में कमी को दर्शाता है।

**पशुपालन विभाग (राजस्थान को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर) ने लिखित उत्तर (दिनांक 31.05.2019) में बताया कि**

2014-15 - ₹ 1.15 Crore (₹ 0.50 Crore + ₹ 0.65 Crore)

₹ 0.50 Crore

फीड एंड फोडर डवलपमेंट स्कीम एवं फोडर सीड प्रोक्योरमेंट एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हेतु प्राप्त राज्य सरकार हिस्सा राशि ₹ 50.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक 48087 दिनांक 03.03.2015 को प्रेषित किया जा चुका है (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)।

₹ 0.65 Crore

Strengthening Infrastructure for Quality & Clean Milk Production हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹ 0.65 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को पत्रांक F.1(40)AH/2005 Part-II Dt. 22.09.2015 द्वारा भेजा जा चुका है (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)।

2014-15 - ₹ 3.90 Crore (₹ 338.81 Lakh + ₹ 50.97 Lakh)

₹ 338.81 लाख प्राप्त अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र. सं.	योजना का नाम	अंशदान (₹ लाख में)	राशि उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा (₹)	पत्रांक	शेष रही राशि (₹)	विशेष विवरण
1.	फोडर सीड प्रोक्योरमेंट एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन	290.73	28401296	1(13)99/2017 दिनांक 05.02.2017 (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)	671704	शेष रही राशि सरकार को लौटाए जाने की प्रक्रिया जारी है।
2.	हस्त चालित चाफ कटर वितरण	48.08	4796460	1(76)गोपालन/2016 दिनांक 07.10.2016 (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)	11540	शेष रही राशि सरकार को लौटाए जाने की प्रक्रिया जारी है।

राशि ₹ 50.97 लाख में से NPDD, Alwar व NPDD, Bhilwara के लिए प्राप्त राशि ₹ 33.90 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पत्रांक RCDF/BD/F.11A(NPDD Alwar & BHL)/2016-17/13914-18 Dt. 01.07.2016 (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया) द्वारा व राशि ₹ 17.07 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पत्रांक 1(40)AH/2005 Part-II

Dt. 22.07.2016 द्वारा भारत सरकार को भेजा जा चुका है (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)।

2016-17 ₹ 8.71 Crore

यह राशि आरसीडीएफ को प्राप्त नहीं हुई है (संलग्नक का समिति ने अवलोकन किया)।

### **प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी**

#### **अनुच्छेद संख्या 2.4 -**

**लेखाशीर्ष 2404-195-(01)** - प्रस्तुत उत्तर तथ्यात्मक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बजट प्रावधान तैयार करते समय व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया जो अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को इंगित करता है। इसके अलावा, गत वर्षों में पर्याप्त बचतों के बावजूद वृहद् बजट प्रावधान किया गया। साथ ही वर्ष 2016-17 में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अपेक्षित हैं।

#### **समिति का अभिमत**

समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में प्राप्ति एवं व्यय की समीक्षा के दौरान बजट पूर्वानुमानों एवं वित्तीय प्रबंधन तथा निधियों के आंकलन में इंगित कमियों/अनियमितताओं एवं बजट नियमों की अनदेखी के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत करा देगा।

समिति सिफारिश करती है कि प्राप्तियों के अनुमानों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों का वास्तविक प्राप्तियों से भिन्न होना विभागीय आंकलन की कमी को इंगित करता है। ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर, की गयी कार्यवाही से पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।

**पर्यटन विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 02.05.2018) में बताया कि बजट मद 3452-80-800-(03) ऐतिहासिक भवनों पर रोशनी (आयोजना) - राजस्थान में स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों/ ऐतिहासिक भवनों पर की जाने वाली फ्लड लाईट के संधारण एवं है व्यय/ बिलों का भुगतान इस मद से किया जाता है। विभाग द्वारा स्थापित की**

गई फलड लाईटों के रख-रखाव एवं दैनिक उपयोग के विद्युत व्यय को बिल का भुगतान संबंधित पर्यटन स्थल स्वामित्व/कमेटी से करवाने के लिए प्रयास किया जाता है, जिससे इस मद में व्ययभार कम हो सके। व्ययभार में उच्चावचन के कारण निम्नानुसार रहे हैं:-

वर्ष 2015-16 में जैसलमेर स्थित किले के लाईट संधारण/नवीनीकरण एवं विद्युत व्यय की राशि ₹ 12.59 लाख होने के कारण व्यय में वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में नवीनीकरण संधारण व्यय कम होने, नवीन फलड लाईट स्थापित नहीं करने के कारण तथा ख्वाजा साहिब की दरगाह का विद्युत व्यय भुगतान का दायित्व दरगाह कमेटी को सौंपने के कारण व्यय ₹ 10.00 लाख ही रह गया है तथा व्यय में कमी आने से बचत रही है।

बजट मद 3452-80-800-(05) आई.टी. प्रोजेक्ट (आयोजना) - विभाग द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित व्यय तथा विभाग में कार्यरत मैन विथ मशीन का व्यय भुगतान किया जाता है, जो सामान्यतया ₹ 30.00 लाख होता है। इस मद में बाय बैंक स्कीम के अन्तर्गत ₹ 7.10 लाख के नवीन कम्प्यूटर्स एवं कम्प्यूटर्स से संबंधित सामग्री क्रय करने के कारण वर्ष 2015-16 में ₹ 37.37 लाख व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 200 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। उक्त के व्यय हेतु विभागीय आवश्यकता अनुरूप विभाग में आई.टी. **Infrastructure Items (Desktop Computers, Laptop, Tablets, Laser Printers, Projectors, UPS etc.) CCTV surveillance items, Indoor/Outdoor LED's** क्रय करने हेतु ₹ 173.47 लाख का प्रस्ताव PeMT से अनुमोदित कराकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को भेजा गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग SeMT द्वारा ₹ 170.74 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। राशि ₹ 170.74 लाख के प्रस्ताव में से वित्त विभाग द्वारा कई **Items** की कटौती कर दी थी एवं केवल ₹ 61.36 लाख के प्रस्ताव को ही स्वीकृत किया गया। उपरोक्त कटौती किये गये **Items** का **Justification** बनाते हुए वित्त विभाग को प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये गये, परन्तु वित्त विभाग द्वारा इनमें से केवल कुछ सामग्री ही **approve** की गई तथा दिनांक 28.11.2016 को विभाग को केवल मात्र ₹ 63.26 लाख के सामान क्रय करने की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हुई। इसके कारण संशोधित अनुमान 2016-17 ₹ 100.00 प्रस्तावित किए गए।

सामग्री को क्रय करने हेतु विभागीय स्तर पर निविदा कर दिनांक 14.3.2017 को कार्यादेश जारी हुआ, जिसके अनुसार फर्म को दिनांक 28.03.2017 तक सामग्री सप्लाई करनी थी ताकि उसे दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान किया जा सके, परन्तु फर्म द्वारा सामग्री सप्लाई नहीं की गई।

इस प्रकार विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से स्वीकृत परियोजना (₹ 170.74 लाख) के अनुसार व्यय स्वीकृति नहीं प्रदान करने तथा फर्म द्वारा कार्यादेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करने के कारण वर्ष 2016-17 में 200 लाख में से केवल मात्र ₹ 28.11 लाख का ही व्यय हुआ तथा शेष राशि ₹ 171.89 लाख की बचत रही।

**बजट मद 3452-80-800-(07) राजस्थान मेला प्राधिकरण को अनुदान (आयोजना) -**

राजस्थान मेला प्राधिकरण को गैर संवेतन एवं संवेतन मद में अनुदान दिया जाता है। गैर संवेतन मद में राज्य के 42 लक्ष्मी मेलों के आयोजन हेतु राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण को जिला मेला समितियों से बजट की मांग अपेक्षित थी, किन्तु जिला मेला समिति द्वारा अपने स्तर पर मेला आयोजन की व्यवस्थाएं कर ली गई, फलतः बचत रही। मेला प्राधिकरण के लिए वित्त विभाग द्वारा 19 पदों की स्वीकृति प्रदत्त की गई थी, किन्तु अतिरिक्त प्रभार होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन सचिवालय से एवं लेखाधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन पर्यटन विभाग से आहरित होता रहा है तथा अधिशाषी अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार व मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त रहे। उक्त दोनों कारणों से मेला प्राधिकरण हेतु प्रावधित बजट राशि में बचत रही है, जो समर्पित कर दी गई।

**बजट मद 3452-80-001 निर्देशन एवं प्रशासन (आयोजना) -** वर्ष 2014-15 में इस मद में मूल बजट प्रावधान ₹ 375.21 लाख थे तथा कुल व्यय ₹ 345.94 लाख रहा है, जो मूल आवंटन की सीमा में है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 इस बजट में मूल आवंटन ₹ 357.20 लाख के विरुद्ध ₹ 373.87 लाख का व्यय हुआ है। इस वर्ष मूल आवंटन से अधिक व्यय ₹ 16.67 लाख का हुआ है, जिसका मुख्य कारण विस्तृत बजट मद 28-अन्य व्यय (टैफ का व्यय) की वर्ष 2014-15 के बिलों की बकाया राशि

का भुगतान वर्ष 2015-16 में किया जाना रहा है। वर्ष 2016-17 में मूल आवंटन ₹ 361.01 लाख के विरुद्ध ₹ 432.19 लाख का व्यय हुआ है। इस मद में हुए अधिक व्यय ₹ 71.18 लाख का मुख्य कारण वर्ष 2016-17 में विस्तृत बजट मद 09-किराया, कर रॉयल्टी में गत वर्ष की तुलना में ₹ 66.38 लाख की वृद्धि होना रहा है। यह वृद्धि मुख्यालय के किराये के भवन (होटल खासाकोठी) के किराये के साथ देय सेवाकर कर की माह 5/2011 से रही बकाया राशि का भुगतान करना तथा नियमित किराये के साथ भी सेवाकर का भुगतान प्रारम्भ करना रहा है।

**बजट मद 3452-80-001 निर्देशन एवं प्रशासन (गैर आयोजना)** - इस बजट मद में निम्नांकित विस्तृत मदों में बजट स्वीकृत होकर व्यय किया जाता है -

1. 01- संवेतन
2. 03- यात्रा व्यय
3. 04- चिकित्सा व्यय
4. 05- कार्यालय व्यय
5. 09- आर.आर.टी.
6. 21- मरम्मत एवं अनुरक्षण
7. 32- डिक्री संबंधी व्यय
8. 37- वर्दियों

आलौच्य वर्षों में संवेदन मद में व्यय में अधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विभाग में रिक्त चल रहे पदों पर आर.टी.डी.सी. से कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करना रहा है। यह विपरीत प्रतिनियुक्ति माह 03/2015 से प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2016-17 तक 22 कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति पर विभाग में आ चुके थे। इसके कारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के संवेतन मद में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। चिकित्सा मद में वृद्धि का कारण विशेष बीमारियों के इलाज पर व्यय यथा कोटा कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार के किडनी का इलाज चलने तथा अलवर कार्यालय के सहायक निदेशक का वर्ष 2016-17 में न्यूरो से संबंधित इलाज का भारी व्यय रहा है। कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय के मद में हुई वृद्धि सामान्य प्रकृति की है।

**बजट मद 3452-80-800-(02) विज्ञापन, प्रचार-प्रसार व्यय (आयोजना) - माननीय मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2015-16 के अनुरूप विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के**

27

सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए राजस्थान को आकर्षक पर्यटक डेस्टीनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने हेतु सी.एम.ए.सी. सदस्यों/ स्टीयरिंग कमेटी के मार्गदर्शन में एग्रेसिव मार्केटिंग अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसका शुभारम्भ माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 15 जनवरी 2016 को किया गया। उक्त घोषणा के क्रम में वर्ष 2015-16 में विभाग को टी.आई.पी. मद में राशि ₹ 21.07 करोड़ (एग्रेसिव मार्केटिंग के अतिरिक्त मेले त्यौहार, मुद्रण, राजस्थान दिवस, घरेलू व विदेशी मार्ट, लाईब्रेरी, आतिथ्य सत्कार सहित) का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया, जो सम्पूर्ण राशि व्यय की गई।

वर्ष 2016-17 में भी अन्य कार्यों/आयोजनों के साथ साथ एग्रेसिव मार्केटिंग अभियान की निरन्तरता के दृष्टिगत टी.आई.पी. मद में वचनबद्ध दायित्वों का भुगतान एवं नवीन कार्य हेतु कुल बजट ₹ 42.82 करोड़ का (एग्रेसिव मार्केटिंग के अतिरिक्त मेले त्यौहार, मुद्रण, राजस्थान दिवस, घरेलू व विदेशी मार्ट, लाईब्रेरी, आतिथ्य सत्कार सहित) प्रावधान किया गया था। इसमें से राशि ₹ 37.81 करोड़ एग्रेसिव मार्केटिंग कैम्पेन की निरन्तरता एवं विविध विज्ञापन के लिए प्रावधित किया गया। इस मद में प्राप्त अतिरिक्त अनुदान ₹ 6.82 करोड़ सहित कुल व्यय ₹ 50.19 करोड़ रहा।

इस प्रकार राजस्थान पर्यटन के देश-विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एग्रेसिव मार्केटिंग अभियानों को चलाया गया, जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2015-16 में पूर्व वर्षों की तुलना में इस मद में अधिक व्यय किया गया। विभाग में प्रभावी रूप से बजट अनुमान एवं बजटरी नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इस मद में उपरोक्त कारणों से व्यय में उच्चावचन आये हैं।

**बजट मद 5452-80-800-(01) -**

इस बजट मद में 2014-15 में कम व्यय के कारण इस प्रकार है -

1<sup>o</sup> जयपुर में रात्रिकालीन पर्यटन एवं भरतपुर में 12 दरवाजों के मरम्मत का कार्य प्रशासनिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं होने के कारण इस कार्य हेतु प्रावधित राशि का व्यय नहीं हो पाया।

28

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग को पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर, मा.आबू व सवाई माधोपुर की मरम्मत हेतु जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण।
3. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बीकानेर में हेरिटेज वॉक, किशनगढ़ में टुकड़े का मकबरा, पाली में शिव मंदिर, लाखोटिया तालाब, सांभर में देवयानी कुण्ड एवं मंदिर, पाली में मंदिर मस्जिद आदि हेतु जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण बचत रही।

वर्ष 2015-16 में इस बजट मद में प्रावधान ₹ 2569.18 लाख का किया गया। इस प्रावधान राशि में गत वर्ष के उपरोक्त वर्णित कार्यों के वचनबद्ध दायित्वों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके विरुद्ध ₹ 2388.32 लाख का व्यय हुआ।

इस वर्ष में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार स्वीकृत परियोजना की PIDDC बन्द कर दी गई। इस योजनाओं को पूर्ण करने हेतु विशेष राशि का बजट प्रावधान किया जाकर व्यय किए जाने हेतु प्रावधान करवाया गया था। उपरोक्त कारणों से वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में अधिक बजट प्रावधान एवं व्यय किया गया।

वर्ष 2016-17 में पूर्व में स्वीकृत कार्यों के वचनबद्ध दायित्वों को पूर्ण करवाने एवं बजट घोषणा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के कार्यों हेतु बजट प्रावधान करवाया गया था। व्यय कम होने के निम्नलिखित कारण रहे -

1. व्यय कम होने का मुख्य कारण कार्यकारी एजेंसी द्वारा उनको जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार की राशि का पूर्ण व्यय नहीं करना रहा।

2. कार्य की गति धीमी रहने के कारण कार्यकारी एजेंसी द्वारा शेष प्रावधित प्रोजेक्ट राशि की शेष किश्त की मांग नहीं की गई।
3. आमेर स्थित सागर एवं अन्य विकास कार्य तथा आमेर मावठा में फाउंटेशन संचालन का कार्य निरस्त किए जाने के कारण व्यय कम हुआ है।

29

वर्ष 2014-15 में बजट मद 5452-80-800-(05) में वन विभाग द्वारा भीमलत बूंदी का विकास एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी, बांसवाड़ा में तलवाड़ा विकास कार्य एवं जारी किए गए आहरण वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं करने के कारण बचत रही। बजट मद 5452-80-800-(05) में मुख्यतः सांभर प्रोजेक्ट हेतु बजट का प्रावधान किया जाता है। सांभर प्रोजेक्ट की स्वीकृति का यह प्रथम वर्ष था। इस कार्य हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को ₹ 700.00 लाख एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को ₹ 430.00 लाख के आहरण एवं वितरण अधिकार जारी किए गए थे। प्रोजेक्ट स्वीकृति का प्रथम वर्ष होने एवं कार्यकारी एजेंसी के कार्य की गति धीमी होने के कारण पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

वर्ष 2015-16 में गत वर्ष के उपरोक्त वचनबद्ध दायित्व एवं अन्य प्रस्तावित विकास कार्यों/बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए ₹ 3820.00 लाख का बजट प्रावधान करवाया गया एवं ₹ 1814.07 लाख का व्यय हुआ। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उनको जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण इस वर्ष भी बचत रही।

आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में वचनबद्ध दायित्वों की स्थिति एवं सांभर प्रोजेक्ट के कार्यों की पूर्णता हेतु आवश्यक राशि को ध्यान में रखते हुए ₹ 1870.61 लाख का बजट प्रावधान किया गया एवं ₹ 1061.63 लाख का व्यय हुआ। इस वर्ष में सांभर प्रोजेक्ट का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में होने के कारण प्रावधित बजट में कमी आई है।

पर्यटन विभाग के आय का बजट मद 1452-00-800-(01) पर्यटन है। पर्यटन विभाग मुख्यतः गाइड लाइसेंस नवीनीकरण फीस, किराया, अंकेक्षण आक्षेपों की वसूलियां, नीलामी, ए.सी.बिलों से आहरित राशि में से अवशेष रही राशि इत्यादि से

आय प्राप्त होती है। विभाग में आय का कोई निश्चित/निरन्तर साधन नहीं होने के कारण आय का सटीक आंकलन किया जाना संभव नहीं होता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय का बजट अनुमान 50.00 लाख निर्धारित किया हुआ था। इस वर्ष में भारत सरकार से टीएफएसओ योजना के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त राशि ₹ 29.34 लाख को आय की मद में जमा करवाया गया। इसके कारण इस

30

वर्ष में आय की राशि बजट आंकलन की तुलना में बढ़ गई, परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान ₹ 90.00 लाख निर्धारित किया गया, परन्तु वास्तविक आय ₹ 117.28 लाख हुई है। विभाग में सामान्यतः उपरोक्त आय के साधनों से ₹ 70 से 90 लाख के मध्य आय होती है, परन्तु वर्ष 2014-15 उक्त ₹ 29.34 लाख की राशि प्राप्त होने के कारण आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय का बजट अनुमान ₹ 95.00 लाख निर्धारित था, जिसे संशोधित बजट अनुमान के समय तक की वास्तविक आय एवं शेष वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए गत वर्ष की अवधि की आय को आधार मानते हुए संशोधित रूप में ₹ 102.44 लाख निर्धारित किया गया था, परन्तु इस वर्ष वास्तविक आय ₹ 80.32 लाख ही प्राप्त हुई। आय में यह कमी भारत सरकार से विभाग को कोई राशि सीधे प्राप्त नहीं होना एवं ए.सी. बिलों से आधारित राशि में से अवशेष राशि आय की मद में कम जमा होना रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपरोक्त आधार पर बजट अनुमान में आय का अनुमान ₹ 115.46 लाख किया गया था। आय की वास्तविक प्राप्ति की राशि को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान ₹ 85.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में ₹ 75.94 लाख वास्तविक आय प्राप्त हुई है।

विभाग में स्थाई तौर पर आय का कोई माध्यम नहीं है। विभाग में लाइसेंस फीस, ऑडिट वसूली, गत वर्ष के ए.सी.बिलों से आधारित राशि में से शेष राशि, किराया, नीलामी आदि से प्राप्त होने वाली राशि को इस मद में जमा करवाया जाता है। उक्त कार्यों से प्राप्त होने वाली राशि अनिश्चित प्रकृति की है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में (30 मार्च) राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु सभी

जिला कलेक्टरों एवं मुख्यालय द्वारा ए.सी. बिलों से राशि आहरित की जाती है। इस राशि में से अवशेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में आय की मद में जमा कराई जाती है। इस राशि में भी वर्षवार काफी उच्चावचन रहते हैं, जिसके कारण आय की मात्रा प्रभावित होती है।

31

### **प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी**

#### **लेखाशीर्षवार टिप्पणी निम्न प्रकार है:-**

##### **(अ) राजस्व व्यय:**

(i) **लेखाशीर्ष 3452-80-800-(03):-** विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

अतः इस कार्यालय की कोई टिप्पणी नहीं है।

(ii) **लेखाशीर्ष 3452-80-800-(05):-** वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान किन आधारों पर राज्य बजट 2016-17 में शामिल किया गया, अवगत कराना अपेक्षित है चूंकि वित्त विभाग द्वारा केवल ₹ 61.36 लाख के प्रावधान ही स्वीकृत किए गए थे। साथ ही फर्म द्वारा सामग्री सप्लाई नहीं करने पर विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई, भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iii) **लेखाशीर्ष 3452-80-800-(07):-** बजट प्रावधान करते समय राजस्थान मेला समिति द्वारा जिला मेला समितियों से मांगे गए प्रावधानों के विवरण तथा बजट प्रावधान के आधार से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iv) **लेखाशीर्ष 3452-80-001 एवं 800-(02):-** प्रेषित उत्तर में कोई विसंगति नहीं है।

अतः इस कार्यालय की कोई टिप्पणी नहीं है।

विभाग द्वारा दिए गए कारण विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत त्रुटियों, अनुश्रवण में कमी, अनुमान तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाती है, क्योंकि वेतन तथा भत्तों पर अनुमान, नवीनीकरण कार्य, कंप्यूटर खरीद आदि का बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान/अंदाजा लगाया जा सकता है।

##### **(ब) पूँजीगत व्यय:**

(i) **लेखाशीर्ष 5452-80-800-(01):-** कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा कम व्यय के कारण अपेक्षित हैं। साथ ही विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक एवं स्वीकृति तथा निरस्त करने के क्या कारण रहे, भी अवगत कराना अपेक्षित है।

(ii) **लेखाशीर्ष 5452-80-800-(05):-** कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा कम व्यय के कारण अपेक्षित है।

इस प्रकार बजट प्रावधान बनाने से पूर्व कार्य की सम्भावना को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष दर वर्ष प्रावधान बढ़ाना बजटिंग प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठता है।

32

(स) **प्राप्तियाँ:**

**लेखाशीर्ष 1452-800-(01):-** विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया है तथा बी.ई. के पश्चात् आर.ई. में प्रावधान में बदलाव के पश्चात् वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करती है।

**पर्यटन विभाग ने लिखित अंतिम उत्तर (दिनांक 20.07.2018) में बताया कि बजट मद 3452-80-800-(03) ऐतिहासिक भवनों पर रोशनी (आयोजना) - राजस्थान में स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों/ ऐतिहासिक भवनों पर की जाने वाली फ्लड लाईट के संधारण एवं विद्युत व्यय/बिलों का भुगतान इस मद से किया जाता है।** विभाग द्वारा स्थापित की गई फ्लड लाईटों के रख-रखाव एवं दैनिक उपयोग के है व्यय को बिल का भुगतान संबंधित पर्यटन स्थल स्वामित्व/कमेटी से करवाने के लिए प्रयास किया जाता है, जिससे इस मद में व्ययभार कम हो सके। व्ययभार में उच्चावचन के कारण निम्नानुसार रहे हैं :-

वर्ष 2015-16 में जैसलमेर स्थित किले के लाईट संधारण/नवीनीकरण एवं है व्यय की राशि ₹ 12.59 लाख होने के कारण व्यय में वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में नवीनीकरण संधारण व्यय कम होने, नवीन फ्लड लाईट स्थापित नहीं करने के कारण तथा ख्वाजा साहिब की दरगाह का विद्युत व्यय भुगतान का दायित्व दरगाह कमेटी को सौंपने के कारण व्यय ₹ 10.00 लाख ही रह गया है तथा व्यय में कमी आने से बचत रही है।

**बजट मद 3452-80-800-(05) आई.टी. प्रोजेक्ट (आयोजना) - विभाग द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित व्यय तथा विभाग में कार्यरत मैन विथ मशीन का व्यय भुगतान किया जाता है, जो सामान्यतया ₹ 30.00 लाख होता है। इस मद में बाय बैंक स्कीम के अन्तर्गत ₹ 7.10 लाख के नवीन कम्प्यूटर्स एवं कम्प्यूटर्स से संबंधित सामग्री क्रय करने के कारण वर्ष 2015-16 में ₹ 37.37 लाख व्यय हुआ है।**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 200 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। उक्त के व्यय हेतु विभागीय आवश्यकता अनुरूप विभाग में आई.टी. Infrastructure Items (Desktop Computers, Laptop, Tablets, Laser Printers, Projectors, UPS etc.) CCTV surveillance items, Indoor/Outdoor LED's क्रय करने हेतु ₹ 173.47 लाख का प्रस्ताव PeMT से अनुमोदित कराकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को भेजा गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ₹ 170.74 लाख का प्रस्ताव

33

स्वीकृत कर दिया। राशि ₹ 170.74 लाख के प्रस्ताव में से वित्त विभाग द्वारा कई Items की कटौती कर दी थी एवं केवल ₹ 61.36 लाख के प्रस्ताव को ही स्वीकृत किया गया। उपरोक्त कटौती किये गये Items का Justification बनाते हुए वित्त विभाग को प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये गये, परन्तु वित्त विभाग द्वारा इनमें से केवल कुछ सामग्री ही approve की गई तथा दिनांक 28.11.2016 को विभाग को केवल मात्र ₹ 63.26 लाख के सामान क्रय करने की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हुई। इसके कारण संशोधित अनुमान 2016-17 ₹ 100.00 प्रस्तावित किए गए।

सामग्री को क्रय करने हेतु विभागीय स्तर पर निविदा कर दिनांक 14.3.2017 को कार्यादेश जारी हुआ, जिसके अनुसार फर्म को 28.03.2017 तक सामग्री सप्लाई करनी थी ताकि उसे 31.03.2017 तक भुगतान किया जा सके, परन्तु फर्म द्वारा सामग्री सप्लाई नहीं की गई। फलस्वरूप फर्म की जमा कार्य प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया गया।

इस प्रकार विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से स्वीकृत परियोजना (₹ 170.74 लाख) के अनुसार व्यय स्वीकृति नहीं प्रदान करने तथा फर्म द्वारा कार्यादेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करने के कारण वर्ष 2016-17 में 200 लाख में से केवल मात्र ₹ 28.11 लाख का ही व्यय हुआ तथा शेष राशि ₹ 171.89 लाख की बचत रही।

**बजट मद 3452-80-800-(07) राजस्थान मेला प्राधिकरण को अनुदान (आयोजना) -**

राजस्थान मेला प्राधिकरण को गैर संवेतन एवं संवेतन मद में अनुदान दिया जाता है। गैर संवेतन मद में राज्य के 42 लक्ष्मी मेलों के आयोजन हेतु राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण को जिला मेला समितियों से बजट की मांग अपेक्षित थी, किन्तु जिला मेला समिति द्वारा अपने स्तर पर मेला आयोजन की व्यवस्थाएं कर ली गईं, फलतः बचत रही। मेला प्राधिकरण के लिए वित्त विभाग द्वारा 19 पदों की स्वीकृति प्रदत्त की गई थी, किन्तु अतिरिक्त प्रभार होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन सचिवालय से एवं लेखाधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन

34

पर्यटन विभाग से आहरित होता रहा है तथा अधिशाषी अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार व मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त रहे। उक्त दोनों कारणों से मेला प्राधिकरण हेतु प्रावधित बजट राशि में बचत रही है, जो समर्पित कर दी गई।

जिला मेला समितियों द्वारा राज्य सरकार को बजट के कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से राज्य मेला प्राधिकरण के सहायतार्थ अनुदान (संवेतन व गैर संवेतन) मद में मेला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर बजट प्रावधान स्वीकृत करते हुए अनुदान दिया जाता है।

**बजट मद 3452-80-001 निर्देशन एवं प्रशासन (आयोजना) - वर्ष 2014-15 में इस मद में मूल बजट प्रावधान ₹ 375.21 लाख थे तथा कुल व्यय ₹ 345.94 लाख रहा है, जो मूल आवंटन की सीमा में है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 इस बजट में मूल आवंटन ₹ 357.20 लाख के विरुद्ध ₹ 373.87 लाख का व्यय हुआ है। इस वर्ष मूल आवंटन से अधिक व्यय ₹ 16.67 लाख का हुआ है, जिसका मुख्य कारण विस्तृत बजट मद 28-अन्य व्यय (टैफ का व्यय) की वर्ष 2014-15 के बिलों की बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2015-16 में किया जाना रहा है। वर्ष 2016-17 में मूल आवंटन ₹ 361.01 लाख के विरुद्ध ₹ 432.19 लाख का व्यय हुआ है। इस मद में हुए अधिक व्यय ₹ 71.18 लाख का मुख्य कारण वर्ष 2016-17 में विस्तृत बजट मद 09-किराया, कर रॉयल्टी में गत वर्ष की तुलना में ₹ 66.38 लाख की वृद्धि होना रहा है। यह वृद्धि मुख्यालय के किराये के भवन (होटल खासाकोठी) के किराये के साथ देय सेवाकर कर की माह 5/2011 से रही बकाया राशि का भुगतान करना तथा नियमित किराये के साथ भी सेवाकर का भुगतान प्रारम्भ करना रहा है।**

**बजट मद 3452-80-001 निर्देशन एवं प्रशासन (गैर आयोजना) - इस बजट मद में निम्नांकित विस्तृत मदों में बजट स्वीकृत होकर व्यय किया जाता है -**

1. 01- संवेतन
2. 03- यात्रा व्यय
3. 04- चिकित्सा व्यय
4. 05- कार्यालय व्यय 5. 09- आर.आर.टी.
6. 21- मरम्मत एवं अनुरक्षण

35

7. 32- डिक्री संबंधी व्यय
8. 37- वर्दियों

आलौच्य वर्षों में संवेदन मद में व्यय में अधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विभाग में रिक्त चल रहे पदों पर आर.टी.डी.सी. से कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करना रहा है। यह विपरीत प्रतिनियुक्ति माह 03/2015 से प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2016-17 तक 22 कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति पर विभाग में आ चुके थे। इसके कारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के संवेतन मद में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। चिकित्सा मद में वृद्धि का कारण विशेष बीमारियों के इलाज पर व्यय यथा कोटा कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार के किडनी का इलाज चलने तथा अलवर कार्यालय के सहायक निदेशक का वर्ष 2016-17 में न्यूरो से संबंधित इलाज का भारी व्यय रहा है। कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय के मद में हुई वृद्धि सामान्य प्रकृति की है।

**बजट मद 3452-80-800-(02) विज्ञापन, प्रचार-प्रसार व्यय (आयोजना) - माननीय मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2015-16 के अनुरूप विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए राजस्थान को आकर्षक पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने हेतु सी.एम.ए.सी. सदस्यों/ स्टीयरिंग कमेटी के मार्गदर्शन में एग्रेसिव मार्केटिंग अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसका शुभारम्भ माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 15 जनवरी 2016 को किया गया। उक्त घोषणा के क्रम में वर्ष 2015-16 में विभाग को टी.आई.पी. मद में राशि ₹ 21.07 करोड़ (एग्रेसिव मार्केटिंग के अतिरिक्त मेले त्यौहार, मुद्रण, राजस्थान दिवस, घरेलू व विदेशी**

मार्ट, लाईब्रेरी, आतिथ्य सत्कार सहित) का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया, जो सम्पूर्ण राशि व्यय की गई।

वर्ष 2016-17 में भी अन्य कार्यों/आयोजनों के साथ साथ एग्रेसिव मार्केटिंग अभियान की निरन्तरता के दृष्टिगत टी.आई.पी. मद में वचनबद्ध दायित्वों का भुगतान एवं नवीन कार्य हेतु कुल बजट ₹ 42.82 करोड़ का (एग्रेसिव मार्केटिंग के अतिरिक्त मेले त्यौहार, मुद्रण, राजस्थान दिवस, घरेलू व विदेशी मार्ट, लाईब्रेरी, आतिथ्य सत्कार सहित) प्रावधान किया गया था। इसमें से राशि ₹ 37.81 करोड़ एग्रेसिव मार्केटिंग कैम्पेन की निरन्तरता एवं विविध विज्ञापन के लिए प्रावधित किया गया। इस मद में प्राप्त अतिरिक्त अनुदान ₹ 6.82 करोड़ सहित कुल व्यय ₹ 50.19 करोड़ रहा।

36

इस प्रकार राजस्थान पर्यटन के देश-विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एग्रेसिव मार्केटिंग अभियानों को चलाया गया, जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2015-16 में पूर्व वर्षों की तुलना में इस मद में अधिक व्यय किया गया। विभाग में प्रभावी रूप से बजट अनुमान एवं बजटरी नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इस मद में उपरोक्त कारणों से व्यय में उच्चावचन आये हैं।

**बजट मद 5452-80-800-(01) -**

इस बजट मद में 2014-15 में कम व्यय के कारण इस प्रकार है -

1. जयपुर में रात्रिकालीन पर्यटन एवं भरतपुर में 12 दरवाजों के मरम्मत का कार्य प्रशासनिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं होने के कारण इस कार्य हेतु प्रावधित राशि का व्यय नहीं हो पाया।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग को पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर, मा.आबू व सवाई माधोपुर की मरम्मत हेतु जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण।
3. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बीकानेर में हेरिटेज वॉक, किशनगढ़ में टुकड़े का मकबरा, पाली में शिव मंदिर, लाखोटिया तालाब, सांभर में देवयानी कुण्ड एवं

मंदिर, पाली में मंदिर मस्जिद आदि हेतु जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण बचत रही।

वर्ष 2015-16 में इस बजट मद में प्रावधान ₹ 2569.18 लाख का किया गया। इस प्रावधान राशि में गत वर्ष के उपरोक्त वर्णित कार्यों के वचनबद्ध दायित्वों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके विरुद्ध ₹ 2388.32 लाख का व्यय हुआ।

इस वर्ष में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार स्वीकृत परियोजना की PIDDC बन्द कर दी गई। इस योजनाओं को पूर्ण करने हेतु विशेष राशि का बजट प्रावधान किया जाकर व्यय किए जाने हेतु प्रावधान करवाया गया था। उपरोक्त कारणों से वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में अधिक बजट प्रावधान एवं व्यय किया गया।

37

वर्ष 2016-17 में पूर्व में स्वीकृत कार्यों के वचनबद्ध दायित्वों को पूर्ण करवाने एवं बजट घोषणा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के कार्यों हेतु बजट प्रावधान करवाया गया था। व्यय कम होने के निम्नलिखित कारण रहे -

1. व्यय कम होने का मुख्य कारण कार्यकारी एजेंसी द्वारा उनको जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार की राशि का पूर्ण व्यय नहीं करना रहा।
2. कार्य की गति धीमी रहने के कारण कार्यकारी एजेंसी द्वारा शेष प्रावधित प्रोजेक्ट राशि की शेष किश्त की मांग नहीं की गई।
3. आमेर स्थित सागर एवं अन्य विकास कार्य तथा आमेर मावठा में बरसाती पानी की भराव क्षमता की कमी पाये जाने के कारण व तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने कारण फाउंटेशन संचालन का कार्य निरस्त किए जाने के कारण व्यय कम हुआ है।

वर्ष 2014-15 में बजट मद 5452-80-800-(05) में वन विभाग द्वारा भीमलत बूंदी का विकास एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी, बांसवाड़ा में तलवाड़ा विकास कार्य एवं जारी किए गए आहरण वितरण अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं करने के कारण बचत रही। बजट मद 5452-80-800-(05) में मुख्यतः सांभर

प्रोजेक्ट हेतु बजट का प्रावधान किया जाता है। सांभर प्रोजेक्ट की स्वीकृति का यह प्रथम वर्ष था। इस कार्य हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को ₹ 700.00 लाख एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को ₹ 430.00 लाख के आहरण एवं वितरण अधिकार जारी किए गए थे। प्रोजेक्ट स्वीकृति का प्रथम वर्ष होने एवं कार्यकारी एजेंसी के कार्य की गति धीमी होने के कारण पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

वर्ष 2015-16 में गत वर्ष के उपरोक्त वचनबद्ध दायित्व एवं अन्य प्रस्तावित विकास कार्यों/बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए ₹ 3820.00 लाख का बजट प्रावधान करवाया गया एवं ₹ 1814.07 लाख का व्यय हुआ। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उनको जारी किए गए आहरण एवं वितरण अधिकार की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण इस वर्ष भी बचत रही।

आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में वचनबद्ध दायित्वों की स्थिति एवं सांभर

38

प्रोजेक्ट के कार्यों की पूर्णता हेतु आवश्यक राशि को ध्यान में रखते हुए ₹ 1870.61 लाख का बजट प्रावधान किया गया एवं ₹ 1061.63 लाख का व्यय हुआ। इस वर्ष में सांभर प्रोजेक्ट का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में होने के कारण प्रावधित बजट में कमी आई है।

पर्यटन विभाग के आय का बजट मद 1452-00-800-(01) पर्यटन है। पर्यटन विभाग मुख्यतः गाइड लाइसेंस नवीनीकरण फीस, किराया, अंकेक्षण आक्षेपों की वसूलियां, नीलामी, ए.सी.बिलों से आहरित राशि में से अवशेष रही राशि इत्यादि से आय प्राप्त होती है। विभाग में आय का कोई निश्चित/निरन्तर साधन नहीं होने के कारण आय का सटीक आंकलन किया जाना संभव नहीं होता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय का बजट अनुमान 50.00 लाख निर्धारित किया हुआ था। इस वर्ष में भारत सरकार से टीएफएसओ योजना के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त राशि ₹ 29.34 लाख को आय की मद में जमा करवाया गया। इसके कारण इस वर्ष में आय की राशि बजट आंकलन की तुलना में बढ़ गई, परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान ₹ 90.00 लाख निर्धारित किया गया, परन्तु वास्तविक आय ₹ 117.28 लाख हुई है। विभाग में सामान्यतः उपरोक्त आय के साधनों से ₹ 70 से 90 लाख के मध्य

आय होती है, परन्तु वर्ष 2014-15 उक्त ₹ 29.34 लाख की राशि प्राप्त होने के कारण आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय का बजट अनुमान ₹ 95.00 लाख निर्धारित था, जिसे संशोधित बजट अनुमान के समय तक की वास्तविक आय एवं शेष वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए गत वर्ष की अवधि की आय को आधार मानते हुए संशोधित रूप में ₹ 102.44 लाख निर्धारित किया गया था, परन्तु इस वर्ष वास्तविक आय ₹ 80.32 लाख ही प्राप्त हुई। आय में यह कमी भारत सरकार से विभाग को कोई राशि सीधे प्राप्त नहीं होना एवं ए.सी. बिलों से आधारित राशि में से अवशेष राशि आय की मद में कम जमा होना रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपरोक्त आधार पर बजट अनुमान में आय का अनुमान ₹ 115.46 लाख किया गया था। आय की वास्तविक प्राप्ति की राशि को

39

ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान ₹ 85.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में ₹ 75.94 लाख वास्तविक आय प्राप्त हुई है।

विभाग में स्थाई तौर पर आय का कोई माध्यम नहीं है। विभाग में लाइसेंस फीस, ऑडिट वसूली, गत वर्ष के ए.सी.बिलों से आहरित राशि में से शेष राशि, किराया, नीलामी आदि से प्राप्त होने वाली राशि को इस मद में जमा करवाया जाता है। उक्त कार्यों से प्राप्त होने वाली राशि अनिश्चित प्रकृति की है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में (30 मार्च) राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु सभी जिला कलेक्टरों एवं मुख्यालय द्वारा ए.सी. बिलों से राशि आहरित की जाती है। इस राशि में से अवशेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में आय की मद में जमा कराई जाती है। इस राशि में भी वर्षवार काफी उच्चावचन रहते हैं, जिसके कारण आय की मात्रा प्रभावित होती है।

### **समिति का अभिमत**

समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में प्राप्ति एवं व्यय की समीक्षा के दौरान बजट पूर्वानुमानों एवं वित्तीय प्रबंधन, बजट अनुश्रवण व बजटरी प्रक्रिया तथा निधियों के आंकलन में इंगित कमियों/अनियमितताओं एवं बजट नियमों की अनदेखी

के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत करा देगा।

समिति सिफारिश करती है कि प्राप्तियों के अनुमानों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों का वास्तविक प्राप्तियों से भिन्न होना विभागीय आंकलन की कमी को इंगित करता है। ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर, की गयी कार्यवाही से पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।

40

समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में इंगित अनियमितताओं के क्रम में विभाग द्वारा उत्तर में वास्तविक परिस्थितियों/तथ्यों/कारणों का उल्लेख किया है। अतः विभाग बजट अनुमानों/पूर्वानुमानों की कार्य की वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार करने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों के विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

**विधान सभा भवन,**

**जयपुर।**

**दिनांक:**

**(गुलाब चन्द कटारिया)**

**सभापति**

**जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20**



## परिशिष्ट एक

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 4)

## सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	आ/ आभि	वर्ष	कुल	अभ्यर्पण राशि	पुनर्विनियोजन	विभाग द्वारा बताये गये कारण
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैस विकास 16- पशुधन नस्ल सुधार योजना 01-स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से	आयोजना	2016-17	3.81		3.81	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैस विकास 18- राष्ट्रीय गाय एवं भैस प्रजनन परियोजना	आयोजना	2016-17	3.00	1.41	1.59	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 108- पशुधन तथा मुर्गी बीमा 01- निदेशालय पशु पालन विभाग 01-पशु बीमा	आयोजना	2014-15	1.02	1.02		अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 101- पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य 23- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम	आयोजना	2015-16	4.35	4.35		अनुमानों का संशोधन
2403-पशु-पालन 106-अन्य पशुधन विकास 02- गौसेवा निदेशालय 01- गौशाला को अनुदान	आयोजना	2014-15	58.65	40.62	18.03	राज्य सरकार से अनुदान राशि के वितरण की स्वीकृति एवं दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण सहायता राशि जारी नहीं की जा सकी।
2404-डेयरी विकास 195- सहकारी समितियों को सहायता 01- राजस्थान राज्य कॉपरेटिव संघ को सहायता	आयोजना	2016-17	8.71		8.71	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।

स्रोत: विनियोग लेखे

**परिशिष्ट दो**  
**सिफारिशों का सार**

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	विभाग	सिफारिश संख्या	विवरण
1	20	पशुपालन	01	समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में प्राप्त एवं व्यय की समीक्षा के दौरान बजट पूर्वानुमानों एवं वित्तीय प्रबंधन तथा निधियों के आंकलन में इंगित कमियों/अनियमितताओं एवं बजट नियमों की अनदेखी के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत करा देगा।
2	20	पशुपालन	02	समिति सिफारिश करती है कि प्राप्तियों के अनुमानों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों का वास्तविक प्राप्तियों से भिन्न होना विभागीय आंकलन की कमी को इंगित करता है। ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर, की गयी कार्यवाही से पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।
3	35	पर्यटन	03	समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में प्राप्त एवं व्यय की समीक्षा के दौरान बजट पूर्वानुमानों एवं वित्तीय प्रबंधन, बजट अनुश्रवण व बजटरी प्रक्रिया तथा निधियों के आंकलन में इंगित कमियों/अनियमितताओं एवं बजट नियमों की अनदेखी के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता

				व्यवस्था सुनिश्चित कर की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण विवरण सहित अवगत करा देगा।
4	35	पर्यटन	04	समिति सिफारिश करती है कि प्राप्तियों के अनुमानों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों का वास्तविक प्राप्तियों से भिन्न होना विभागीय आंकलन की कमी को इंगित करता है। ऐसे प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, विभाग इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर, की गयी कार्यवाही से पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।
5	36	पर्यटन		समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद में इंगित अनियमितताओं के क्रम में विभाग द्वारा उत्तर में वास्तविक परिस्थितियों/तथ्यों/कारणों का उल्लेख किया है। अतः विभाग बजट अनुमानों/पूर्वानुमानों की कार्य की वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार करने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से प्राप्त परिणामों के विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।